संख्या–1055 / XVI / 07 / 7(63) / 2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

रेशम एवं रेशम अनुभाग:–2 देहरादून: दिनांक 21 जनवरी,2008

विषय:–वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 0602–राज्य में चाय विकास की योजना के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0–313.26 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–562 / 1–1(102) / 2007–08,दिनांक–03 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चाय प्लान्टेशन,बागानों के रख–रखाव एवं नर्सरी स्थापना इत्यादि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की योजना 0602–राज्य में चाय विकास की योजना में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0–313.26 लाख (रूपये तीन करोड़ तेरह लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्यतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII (1)/2007,दिनांक–12 जुलाई, 2007 **(छाया प्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फैजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

...2/

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, साथ ही यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही व्यय कर ली जायेगी।

09– स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक,उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा को नियमानुसार अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाय।

10– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– अगले वित्तीय वर्ष में धनावंटन तभी किया जायेगा, जब, अब तक निर्गत समस्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय व भौतिक प्रगति उपलब्ध करा दी जायेगी। योजना का वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हुए योजना की उपादेयता/वर्तमान स्वरूप में उपादेयता स्पष्ट कर दी जायेगी।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–06–चाय विकास योजना–0602–राज्य में चाय विकास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–273(P)/XXVII/2007, दिनांक–18 जनवरी,,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1055/XVI/07/7(83) 2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा।
3– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।